मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
भोपाल दिनांक 28 जुलाई, .2006

क्रमांक. 1907 –म.प्र.विनिआ – 2006 – विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 43 (1) सहपठित धारा 181 (2)(टी), धारा 44, धारा 46, सहपठित धारा 181 (1), धारा 47 (1) सहपठित धारा 181 (1), धारा 47 (1) सहपठित धारा 181 (डब्लू), धारा 47 (2,3 एवं 5), धारा 48 (बी), धारा 50 सहपठित धारा 181 (2)(एक्स) एवं धारा 56 तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) की धारा 9 (जे) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 861–विनिआ–04 दिनांक 27 मार्च 2004 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में निम्न संशोधन करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में आठवां संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(i) यह संहिता **''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (आठवां संशोधन) (क्रमांक एजी–1 (viii), वर्ष 2006)''** कही जावेगी ।

(ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी।

(iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. अध्याय–7 में संशोधन

(i) **मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004** जिसे इसके बाद प्रधान संहिता कहा जावेगा, के **अनुच्छेद 7.10 तथा 7.11** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''7.10 अनुबंध की प्रारंभिक दो वर्षों की अवधि के बाद, भार में कमी के आवेदन अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में प्रस्तुत किये जावेंगे ।

7.11 जहां स्थापना में फेरबदल निहित है, वहां उपभोक्ता द्वारा एक सक्षम अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार से परीक्षण प्रतिवेदन (टेस्ट रिपोर्ट) प्रस्तुत किया जावेगा ।''

(ii) प्रधान संहिता में, **अनुच्छेद 7.12** जैसा कि इसे पूर्व में **मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (चतुर्थ संशोधन) (एजी – 1 (iv), वर्ष 2006)** दिनांक 3 फरवरी, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, इसे आगे, निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

7.12 दो वर्ष की प्रारंभिक अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद, उपभोक्ता अपने स्वयं के संयोजन की संविदा मांग कम किये जाने बाबत् अधिकृत होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत किया गया कोई अनुरोध 30 दिन की अवधि के बाद प्रभावशील होगा । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, की गई कमी को यथोचित देयक में देयक अवधि बाबत्, जो आवेदन तिथि से 30 दिन पश्चात प्रारंभ होगी, दर्शाया जावेगा । संविदा मांग में कमी किये जाने के संबंध में पश्चातवर्ती कोई अनुरोध भी अवधि समाप्ति के न्यूनतम एक वर्ष बाद अनुज्ञप्तिधारी को किया जा सकता है। संविदा मांग में की जाने वाली कमी सुसंगत वोल्टेज स्तर के अन्तर्गत अनुज्ञेय न्यूनतम संविदा मांग के अध्यधीन होगी ।''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उप सचिव